

THE FINANCIAL EXPRESS

SATURDAY | JANUARY 18 | 2014

FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED
GOETZE MOGUL
Regd. Office: 7870-7877, F-1 Roshanara Plaza Building, Roshanara Road, Delhi 110 007

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 640B of the Companies Act, 1956, the Company is moving an application to the Central Government, pursuant to the provisions of Section 269 read with Schedule XIII and other applicable provisions of the Companies Act, 1956 (the Act), if any, to obtain its approval for the appointment of Mr. Andreas Kolf, as a Managing Director, for a period from 6th November, 2013 to 5th November, 2018, in terms of the approval conferred by the Board of Directors at its Meeting held on 6th November, 2013 subject to the approval of the Shareholders of the Company in the ensuing Annual General Meeting of the Company to be held in the year 2014.

Pursuant to Rule 20A (2) of the Companies (Central Government's) General Rules & Forms, 1956, any person having any objection(s) to the aforesaid appointment shall, if he so desires, communicate his objection(s) in writing, duly substantiated, to the Secretary, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi within 30 days after the publication of this notice in the newspaper, with a copy of the same to the applicant Company at the above mentioned address.

By Order of the Board
For Federal-Mogul Goetze (India) Limited
Sd/-
Khalid Khan
Company Secretary

Date : 17th January, 2014
Place : Delhi

जनसत्ता, 18 जनवरी, 2014

FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) लिमिटेड
GOETZE MOGUL
पंजीकृत कार्यालय : 7870-7877, एफ-1 रोशनारा प्लाजा भवन, रोशनारा रोड, दिल्ली-110 007

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 640 बी में दिए गये प्रावधानों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी केन्द्र सरकार की शिड्यूल XIII के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 269 में दिए गये प्रावधानों एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम), यदि है तो, में वत्सखन्धी लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसरण में 6 नवम्बर, 2013 को आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल की सहमति के अनुपालन में, (यदि वर्ष 2014 में आयोजित होने वाली कम्पनी की सामान्य वार्षिक बैठक में कम्पनी के अशधारकों की सहमति हो), श्री आन्द्रेयाज कॉल्फ को 6 नवम्बर, 2013 से 5 नवम्बर, 2018 की अवधि हेतु प्रबंध निदेशक नियुक्त किये जाने के आशय से केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन करने जा रही है।

कम्पनी संबंधी (केन्द्र सरकार के) नियम 20 ए (2) सामान्य नियमों एवं प्रावधानों, 1956 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति(याँ) है, और यदि वह चाहे, तो सचिव, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली को एवं एक प्रति आवेदक कम्पनी को उपर्युक्त पते पर, अपनी आपत्ति(याँ) से सम्बन्धित वक्तव्य, लिखित रूप से, प्रमाण (साक्ष्य) प्रस्तुत करते हुये, इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिन के भीतर भेज सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कुले फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
खालिद खान
कम्पनी सचिव

तिथि : 17 जनवरी 2014
स्थान : दिल्ली

CERTIFIED TRUE COPY

For Federal Mogul Goetze (India) Ltd.

Khalid I. Khan
Khalid I. Khan
Company Secretary